उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-69/2015/वी0एम0-34 /62-2-2015-2/4(15)/2015
लखनऊ: दिनांक: 27 मई,2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री अम्बरीश चन्द्र खरे, अधिशासी अभियंता, लधु सिंचाई खण्ड, बरेली को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-4171/62-2-2014, दिनांक 21-4-2015 द्वारा स्थानान्तरित करते हुए परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन के पद पर तैनात किया गया था। श्री खरे द्वारा परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया था।

2- सम्यक विचारोपरांत श्री अम्बरीश चन्द्र खरे, अधिशासी अभियंता को शासकीय हित में लघु सिंचाई खण्ड, बरेली के पद पर पुन: पदस्थ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- श्री अम्बरीश चन्द्र खरे, अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, बरेली के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें।

ह0/
भरत लाल राय,
विशेष सचिव।

सं0-69/2015/वी0एम0-34 (1)/62-2-2015,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता,लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।